7.5 करोड़ किसान देश के ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत छह हजार की आर्थिक सहायता दी जा रही है। पांच करोड़ किसान ऐसे हैं, जिन्हें आधार से भी लिंक कर दिया गया है।

लोकसभा में महिलाओं के मुद्दे पर चर्चा के दौरान स्मृति ईरानी का अपमान

तल्खी ▶ मंत्री के बयान से उग्र कांग्रेस के दो सांसद बाहें चढ़ाते हुए वेल की ओर आए

संसदीय मंत्री ने दोनों सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने का दिया नोटिस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

महिला सुरक्षा और गरिमा को लेकर पिछले तीन चार दिनों में संसद के अंदर जो गुस्सा दिखा था, शुक्रवार को वह महिला के अपमान पर ही आकर खत्म हो गया। लोकसभा में गर्मागर्म माहौल के बीच केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के बयान से बौखलाए कांग्रेस के दो सांसदों ने ऐसा आचरण कर दिया कि कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। यहां तक कि ईरानी को कहना पड़ा कि उनकी गलती यही है कि वह भाजपा की महिला सांसद हैं और सदन में बोल रही हैं।

दरअसल, केरल से जीतकर आए टीएन प्रतापन और डीन कुरीकोज अपनी बांहें चढ़ाते हुए उग्र अंदाज में वेल की ओर बढ़े थे। भाजपा सदस्यों ने इसे एक महिला मंत्री का अपमान करार दिया और माफी की मांग की। अब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया गया है कि

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को लोकसभा में महिलाओं के मुद्दे पर चर्चा के दौरान बोलतीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। प्रेट्र

अगर दोनों सदस्य सदन के अंदर माफी नहीं मागते हैं तो उन्हें शीतकालीन सत्र के बाकी बचे पांच दिनों के लिए निलंबित किया जाए।

दरअसल, आग तभी भड़क गई थी जब शून्यकाल के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था, 'एक तरफ मंदिर बनाने की तैयारी हो रही है और दूसरी ओर सीता जलाई जा रही है।' उन्होंने उन्नाव के संदर्भ में यह बात कही थी।

जब जवाब देने के लिए ईरानी आईं तो उन्होंने चेताया कि महिला सुरक्षा और गरिमा के मामले को सांप्रदायिक रंग देकर राजनीति न करें। उन्होंने कहा कि जहां भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं वहां सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए, लेकिन तृणमूल सदस्यों को यह भी बताना चाहिए कि मालदा में हो रही घटनाओं पर क्यों चुप रह जाते हैं।

इस क्रम में माहौल इतना गर्म हो गया कि कांग्रेस के दोनों सदस्य तेजी से वेल की ओर बढ़े। कुछ सदस्यों ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। उस वक्त आसन पर बैठीं मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस नेता से कहा कि वह दोनों सदस्यों को माफी मांगने के लिए कहें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित हो गई। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर भी भाजपा सदस्य माफी की मांग पर डटे थे। आखिरकार पूरे दिन के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई।

बताया जाता है कि सोमवार को प्रह्लाद जोशी नियम 374 का हवाला देकर दोनों सदस्यों को एक सप्ताह के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पढ़ेंगे। उनसे बिना शर्त माफी मांगने की मांग की जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह लोकसभा अध्यक्ष से कार्रवाई का आग्रह करेंगे।

कोई भारतीय अध्ययन नहीं बताता, प्रदूषण से कम होती है जिंदगी : जावडेकर

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत में किए गए अध्ययनों में से किसी में भी यह बात सामने नहीं आई है कि प्रदूषण और कम होते जीवनकाल में कोई संबंध है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने शुक्रवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये बातें कहीं।

प्रदूषण के कारण जीवन प्रत्याशा कम होने संबंधी एक सवाल के जवाब में पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री जावडेकर ने कहा, 'हमें लोगों के बीच डर की मनोवृत्ति नहीं पैदा करनी चाहिए।' उन्होंने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। इसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आ रहे हैं। हालांकि, अभी तक किसी भी भारतीय अध्ययन में ये बातें सामने नहीं आई हैं कि प्रदूषण और जीवन प्रत्याशा कम होने में कोई संबंध है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देशभर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरुआत की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के आधार पर एनसीएपी के तहत 102 ऐसे शहरों का चयन किया गया है, जहां वायु की गुणवत्ता ठीक नहीं है। इन शहरों की जरूरत के अनुरूप अलग-अलग विशेष कार्यक्रम तैयार और अनुमोदित किए जा चुके हैं। एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के लिए 11,254 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इनमें 8,562.73 करोड़ रुपये कॉम्पेनसेट्री अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी (कैंपा) के माध्यम से जारी हुए हैं।

आरओ के इस्तेमाल को लेकर सभी पक्षों से हो रहा विमर्श

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ केंद्रीय मंत्री जावडेकर ने कहा- पानी की एक बूंद भी नहीं होने देंगे बर्बाद, मिनरल भी सुरक्षित रखेंगे

पानी को साफ करने में इस्तेमाल होने वाले आरओ को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश से जुड़े सवाल पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने साफ किया है कि इस बारे में जो भी निर्णय होगा, उसमें एनजीटी के आदेश, वास्तविकता और लोगों की सेहत, तीनों को ध्यान में रखा जाएगा।

एनजीटी ने हाल ही में एक आदेश में आरओ का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं जगहों पर करने को कहा है, जहां पानी के टीडीएस (टोटल डिजॉल्वड सॉलिड) का स्तर प्रति लीटर 500 मिलीग्राम से ज्यादा है।

लोकसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान आरओ को लेकर पर्यावरण मंत्री जावडेकर से प्रो. सौगत राय, गोपाल शेट्टी, जगदंबिका पाल सहित कई सदस्यों ने सवाल किए। इस पर उन्होंने कहा कि आरओ की मूल समस्या है कि इसमें सभी नेचुरल मिनरल्स खत्म हो जाते हैं और पानी भी बर्बाद होता है। एनजीटी ने अपने आदेश में भी इसका जिक्र किया है। हालांकि, मुझे एक नई

लोकसभा में शुक्रवार को बोलते केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर। प्रेट्र

तकनीक के बारे में पता चला है, जिसमें पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी और उसमें नेचुरल मिनरल्स भी बचे रहेंगे। अगर ऐसा कोई विकल्प सामने आता है तो उस पर भी विचार होगा। जावडेकर ने कहा कि फिलहाल आरओ से जुड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने सरकार से आरओ बनाने वाली कंपनियों के साथ बातचीत करने और एक नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय इस पर काम कर रहा है।

महिला कर्मचारियों से रात में ड्यूटी नहीं कराएगा रेलवे

जागरण संवाददाता, अमृतसर : महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेलवे ने महिला कर्मचारियों की रात की ड्यूटी पूरी तरह से बंद करने के आदेश दिए हैं। किसी भी महिला कर्मचारी से रात 10 बजे के बाद ड्यूटी नहीं कराई जाएगी।

रेलवे द्वारा जारी इस आदेश में डीआरएम (मंडल रेल प्रबंधक) स्तर पर सभी स्टेशनों पर तुरंत लागू करवाने को कहा गया है। अगर कहीं पर लापरवाही पाई जाती हैं या महिला कर्मचारियों से जबरन रात की ड्यूटी कराई जाती है, तो सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। इन आदेशों के मुताबिक महिला कर्मचारी सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही ड्यूटी करेंगी। यह आदेश खास तौर पर हैदराबाद में हुए सामूहिक दुष्कर्म को मुख्य रखते हुए जारी किए गए हैं।

चुनावी कर्जमाफी किसानों के साथ छलावा : केंद्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में चुनाव के दौरान कर्ज माफी के वादे को सरकार ने संसद के सामने रखा

▶ 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के वादे को फिर दोहराया

मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में चुनावों के दौरान किसानों से किए गए कर्ज माफी के वादे को केंद्र सरकार ने छलावा बताया है। साथ ही इसके लिए राज्यों को ही जिम्मेदार ठहराया है जो वादा करने के बाद अब उसे पूरा नहीं कर रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आम तौर पर यह माना जाता है, कि कर्ज माफी से किसान खुश हो जाएंगे, लेकिन इतिहास देखें तो इससे किसान कभी खुशहाल नहीं हुआ। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के समय भी कर्ज माफी की गई थी। उसके बाद भी कर्ज माफी की बात की जा रही है।

केंद्रीय कृषि ने शुक्रवार को यह जवाब राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान दिया। भाजपा सांसद प्रभात झा ने सरकार से पूछा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में चुनाव से पहले किसानों के कर्ज को माफ करने की घोषणा की गई थी। अब तक तीनों राज्यों में कितना कर्ज माफ किया गया है।

नरेंद्र सिंह तोमर फाइल फोटो

इसका जवाब पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दिया जिसमें उन्होंने कर्जमाफी को छलावा बताया। बाद में केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि हमारी सरकार कर्ज माफी के बजाय किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में काम कर रही है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। फिलहाल इस दिशा में पीएम-किसान योजना शुरू की गई है। इसके तहत किसानों को सालाना छह हजार रुपये की मदद दी जा रही है। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को डेढ़ गुना बढ़ाया गया है। केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री ने इस दौरान यह भी साफ किया कि कर्ज माफी की जरूरत अमूमन तब होती है, जब कोई आपदा आती है, लेकिन आपदा आने पर राज्य सरकारें कर्ज माफी नहीं करती हैं। वे सिर्फ चुनाव के दौरान ही कर्ज माफी करती हैं। अब तक दस बार ऐसा हुआ है।

बंगाल को छोड़कर सभी राज्य ले रहे है पीएम किसान का लाभ : तोमर ने कहा, बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों में पीएम-किसान योजना का ठीक ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है। मप्र, राजस्थान और पंजाब भी इससे जुड़ गए हैं। इसके तहत अभी साढ़े सात करोड़ किसानों को यह राशि दी जा रही है। साथ ही पांच करोड़ किसान ऐसे हैं, जिन्हें आधार से भी लिंक कर दिया गया है। इस महीने से ही उन्हें यह राशि प्रदान की जाएगी।

किस राज्य में कितना हुआ कर्जमाफ

मध्य प्रदेश : माफ की जाने वाली कुल राशि- करीब 36500 करोड़। कर्ज माफ हुआ सिर्फ 7154 करोड़। 20 लाख किसानों को मिला फायदा जबकि प्रदेश में हैं कुल 80 लाख किसान।

पंजाब : माफ की जाने वाली कुल राशि- दस हजार करोड़। माफ हुआ सिर्फ 4501 करोड़। साढ़े पांच लाख किसानों को फायदा। कुल किसान हैं 34 लाख।

राजस्थान : माफ की जाने वाली कुल राशि- 18 हजार करोड़। माफ हुआ सिर्फ साढ़े सात हजार करोड़। करीब 20 लाख किसानों को फायदा। कुल किसान हैं 79 लाख।

सेना की गोला-बारूद की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे आयुध कारखाने

नई दिल्ली, आइएएनएस : देश के आयुध कारखानें सेना की अहम गोला-बारूद की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इससे सेना की परिचालन संबंधी तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। आयुध कारखाने अपने 80 फीसद उत्पाद सेना को सप्लाई करते हैं। संसद में पेश रक्षा सेवाओं पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है।

कैग ने कहा है कि आयुध फैक्ट्रियां आधे से भी कम यानी 49 फीसद सामग्रियों में उत्पादन के लक्ष्य को हासिल कर पाती हैं। यही नहीं, 2016-17 की तुलना में 2017-18 में आयुध कारखानों के निर्यात में भी 39 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि 31 मार्च, 2018 तक आयुध फैक्ट्रियां सेना की प्रमुख मांगों को पूरा नहीं कर सकी थीं। रिपोर्ट में आयुध कारखाना संगठन के वित्तीय लेन-देन के ऑडिट रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है। यह संगठन रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पाद के अंतर्गत आता है। रिपोर्ट के मुताबिक आयुध कारखाना बोर्ड को साल 2017-18 में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के लिए क्रमशः 14,793 करोड़ रुपये और 804 करोड़ रुपये का बजटीय अनुदान मिला था। उपरोक्त साल में बोर्ड ने 14,251 करोड़ रुपये की सामग्रियां सप्लाई की।

कैग ने कहा कि आयुध फैक्ट्रियां गोला-बारूद को सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से छोड़े जाने के लिए जरूरी अहम खाली और भरे हुए फ्यूज का उत्पादन भी पूरी क्षमता के साथ नहीं कर पा रही हैं। सामग्रियों की कमी और गुणवत्ता की समस्या के चलते आठ तरह के खाली फ्यूज के उत्पादन में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई है। फ्यूज की कमी के चलते सेना के 403 करोड़ से ज्यादा के गोला-बारूद बेकार पड़े हैं। खराब फ्यूज के चलते 18 बड़े हादसे भी हुए हैं। 2011 से लागू ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली का भी सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है।

नागरिकता विधेयक पर सरकार को मिला आरएसएस का साथ

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली

▶ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का क्रियान्वयन में मिलेगा पूरा साथ

▶ संघ ने कहा, संशोधित बिल में मुस्लिमों के खिलाफ कुछ भी नहीं

नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) 2019 को लेकर हमलावर विपक्ष का सामना कर रही केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का मजबूत साथ मिला है। संघ ने कहा है कि 70 सालों की ऐतिहासिक गलती को सुधारने का वक्त आ गया है और वह इसके क्रियान्वयन में केंद्र सरकार का पूरा साथ देगा। विभिन्न सामाजिक संगठनों की मदद से जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।

संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि यह भारत की मानवीय और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि पड़ोसी इस्लामिक देशों से धार्मिक आधार पर हिंसा से जान बचाकर आए वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिख, बौद्ध व ईसाइयों को अपना नागरिक माने। पदाधिकारी ने विपक्षी दलों के विरोध को तत्कालिक बताते हुए उम्मीद जताई कि अधिकांश दल इसके पक्ष में आएंगे, क्योंकि यह सियासत का नहीं मानवता का मामला है। पूर्व में कांग्रेस पार्टी समेत अन्य दलों के नेता भी इसकी मांग करते रहे हैं। संसद से लेकर चुनावी सभाओं में यह मुद्दा उठाया है।

संघ ने इसके लिए एक वेबसाइट सीएबी.जीईटीएफएसीटीएस.इन (cab.getfacts.in) भी बनाई है, जिसमें नागरिकता संशोधन विधेयक पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, पूर्व गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ असम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का घोषणापत्र भी जिसमें पाकिस्तान व बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख व इसाई के नागरिकता के मुद्दे के समाधान का वादा किया था।

आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नागरिकता संशोधन विधेयक किसी भी प्रकार से मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, पर उनका आना अपने देश में प्रताड़ना से नहीं है। जो आए हैं वह घुसपैठ कर आए हैं। किसी इस्लामिक देश में धर्म के आधार पर मुस्लिमों को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। लिहाजा मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अन्य वजहों से यदि कोई दूसरे देश का नागरिक भारत में शरण लेना चाहता है तो इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया है। वह वैध तरीके से देश में आएं। वीजा व शरणार्थी के तौर पर आवेदन करें। वैध तरीके से आने पर अदनान सामी जैसे लोगों को भी देश की नागरिकता मिली है। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने पहले ही ऐलान किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह ऐसा कानून बनाएंगे जिससे दूसरे देशों में प्रताड़ित हिंदुओं को भारत में शरण मिल सके।

संसद में मंत्रियों की भी लग रही है क्लास

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने व्यवस्था बनाने की जो परंपरा शुरू की है उसमें मंत्रियों के लिए भी छूट नहीं है। लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें इनकी ओर से मंत्रियों को ताकीद की जा रही है।

शुक्रवार को लोकसभा में उस वक्त बिरला ने पर्यावरण राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो को टोक दिया जब वह आगे आकर अपने सीनियर मंत्री प्रकाश जावडेकर से बातचीत कर रहे थे। एक दिन उन्होंने राज्यमंत्री दानवे रावसाहेब दादाराव को टोका था और नाराजगी जताई थी कि वह प्रश्नकाल में पूरा ध्यान नहीं लगा रहे हैं।

दूसरी ओर राज्यसभा में मंत्रियों की गैरहाजिरी का भी मुद्दा उठा। सभापति वैंकेया नायडू ने नाखुशी जताई और कहा, यह गंभीर मामला है। वह इसे लेकर बात करेंगे। सभापति इससे पहले सांसदों की गैर-हाजिरी को लेकर भी कड़ी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। इस दौरान उन्होंने सवाल पूछकर गायब रहने वाले सांसदों के नाम का भी जिक्र किया था। राज्यसभा में यह मुद्दा शुक्रवार को शून्यकाल शुरू होने के दौरान तब उठा, जब सभापति ने कार्यसूची के मुताबिक, दस्तावेजों को पेश करने के लिए मंत्रियों के नाम पुकारे। इनमें पहला नाम आरके सिंह का था जो सदन से अनुपस्थित थे। दूसरा नाम अनुराग सिंह ठाकुर का था। सदन में मौजूद मंत्री सोम प्रकाश ने खड़े होकर उसके दस्तावेज पेश करने की कोशिश की, पर सभापति ने अनुमति न लेने का मुद्दा खड़े करते हुए उनकी मांग को खारिज कर दिया।

2018 में देश में थे कैंसर के 15.86 लाख मरीज

▶ हर्षवर्धन बोले, हेल्थ केयर सिस्टम में है विभिन्न स्तरों पर जांच-इलाज की सुविधा

▶ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बीमारी के नियंत्रण के चल रहे कार्यक्रम

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को लोकसभा में बोलते केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन। इस दौरान सदन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (दाएं) भी मौजूद रहे। एएनआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : 2018 में देश में कैंसर के 15.86 लाख मरीज थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि हेल्थ केयर सिस्टम में विभिन्न स्तरों पर कैंसर की जांच की जाती है और उसका इलाज किया जाता है। इस बीमारी का इलाज सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और रोग दबाने वाली दवाओं से किया जाता है।

प्रश्नकाल के दौरान एक लिखित उत्तर में हर्षवर्धन ने कहा, 'भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के अनुसार, 2018 में कैंसर के 15,86,571 मामले थे।' उन्होंने कहा कि डीएम (मेडिकल ओन्कोलॉजी), एमसीएच (सर्जिकल ओन्कोलॉजी) और एमडी (रेडिएशन ओन्कोलॉजी) के साथ डॉक्टर उच्चस्तरीय तृतीय केयर अस्पतालों में कैंसर रोगियों की चिकित्सा करते हैं। जनरल सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ईएनटी सर्जन आदि जैसे अन्य डॉक्टर भी सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज करते हैं। कैंसर के प्रकार और उसकी जगह पर इलाज निर्भर करता है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कैंसर रोगियों के संबंध में केंद्रीय स्तर पर सूचना दर्ज नहीं की जाती है। स्वास्थ्य राज्य का विशेष है। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार कैंसर समेत अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता करती है।

हर्षवर्धन ने कहा, 'भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एवं स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया है।' उन्होंने कहा कि इस प्रयास में कैंसर रोकथाम, जांच, शीघ्र पता लगाना और इलाज के लिए उपयुक्त स्तर के संस्थान में भेजने के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है।

देश के 10 फीसद से अधिक वयस्कों में मनोविकार : हर्षवर्धन

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में 10 फीसद से अधिक लोग मनोविकार से पीड़ित हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के जरिये सरकार ने 2016 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण करवाया था। इसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के 10.6 फीसद लोग मनोविकार से पीड़ित मिले। जिन राज्यों में सर्वेक्षण किया गया, उनमें मणिपुर को छोड़कर सभी 12 राज्यों में कम-से-कम एक मानसिक अस्पताल है। सभी राज्यों के अस्पतालों में एक मनोरोग विभाग है और सामान्य अस्पतालों में मनोरोग इकाई है। कुछ अस्पतालों में नशामुक्ति केंद्र भी हैं। इसके अलावा सर्वेक्षण किए गए राज्यों में 450 सचल मानसिक इकाइयां और 249 नशामुक्ति केंद्र भी हैं। हर्षवर्धन ने कहा कि हालांकि जन स्वास्थ्य और अस्पतालों की स्थापना मुख्यतः राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है, लेकिन केंद्र सरकार भी इस काम में राज्यों की मदद करती है।

डेंगू के डंक का होगा खात्मा, विकसित की जा रही वैक्सीन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आने वाले कुछ सालों में डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी से निपटना मुश्किल नहीं होगा। भारत में इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन का विकास किया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि एक बार डेंगू का वैक्सीन तैयार हो जाने के बाद इसके मरीजों की संख्या में भारी कमी आ जाएगी।

दरअसल, प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में लोगों के बड़ी संख्या में डेंगू से पीड़ित होने का मुद्दा उठाया था। वे जानना चाहते थे कि केंद्र सरकार डेंगू की रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है? जवाब देते हुए हर्षवर्धन ने बताया कि डेंगू एडीज मच्छर काटने के कारण होता है, जो साफ पानी में ही पैदा होता है। स्वास्थ्य राज्यों का विषय होने के कारण इसकी रोकथाम व आम लोगों में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसके लिए केंद्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पर्याप्त सहायता मुहैया करा रही है। उन्होंने सदन को डेंगू के वैक्सीन विकसित किए जाने की जानकारी देते हुए कहा, वैक्सीन का विकास भारत में ही किया जा रहा है और यह अंतिम चरण में है। उनके अनुसार जल्द ही इसे आम लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा।

रणनीति

कांग्रेस नागरिकता संशोधन विधेयक के मामले में सरकार को चुनौती देने की रणनीति बना रही है, उसने इसके प्रयास भी तेज कर दिए हैं, आठ साथी दलों के आश्वासन से वह काफी उत्साहित है

नागरिकता बिल के विरोध की गोलबंदी में जुटी कांग्रेस

संजय मिश्र, नई दिल्ली

▶ विधेयक को रास की प्रवर समिति के पास भेजने का करेगी प्रयास, शिवसेना देगी सरकार का साथ

▶ सरकार की राह रोकने के साथ पार्टी के अंदर से उलटे सुर को रोकना कांग्रेस की दोहरी चुनौती

कांग्रेस ने बहुचर्चित नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध करने का फैसला करते हुए उसे राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए सियासी गोलबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस, राकांपा, सपा, माकपा, भाकपा, द्रमुक और राजद समेत करीब आठ राजनीतिक दलों ने भी विधेयक का विरोध करने का इरादा जाहिर कर दिया है। विपक्षी खेमे के इस रुख को देखते हुए ही कांग्रेस राज्यसभा में विधेयक पर सरकार के संख्या बल को चुनौती देने की रणनीति बना रही है।

नागरिकता संशोधन विधेयक पर काफी विचार मंथन के बाद कांग्रेस ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल बताते हुए विरोध करने का फैसला किया है। हालांकि अंदरखाने कांग्रेस में इस आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा कि अनुच्छेद 370 की तरह नागरिकता विधेयक पर भी पार्टी के भीतर से समर्थन के मुखर सुर निकल सकते हैं। इसी आशंका के चलते नागरिकता विधेयक पर पार्टी में पिछले कई दिनों से ऊहापोह की स्थिति चल रही थी, लेकिन राहुल गांधी और पी चिदंबरम ने गुरुवार को साफ कर दिया कि विधेयक का मौजूदा स्वरूप धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है और कांग्रेस इसका विरोध करेगी।

कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी का रुख साफ करते हुए कहा कि यह विधेयक संविधान की भावना के खिलाफ है और हम इसका विरोध करेंगे। विपक्षी दलों का कहना है कि इसमें एक धार्मिक समुदाय को बाहर किया जाना सभी को बराबर मानने की संविधान की भावना के खिलाफ है। लोकसभा में राजग सरकार के पास पूर्ण बहुमत है और विपक्ष संख्या बल के हिसाब से विधेयक का रास्ता नहीं रोक पाएगा।

कांग्रेस इसीलिए राज्यसभा में अधिक से अधिक दलों को साथ जुटाकर विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के सियासी दांव से सरकार को घेरना चाहती है। मगर आंकड़ों की कसौटी पर बहुमत न होते हुए भी राज्यसभा में राजग का पलड़ा भारी दिख रहा है। राजग और उसके समर्थक दलों का आंकड़ा मिला दिया जाए तो 240 सदस्यीय सदन में सरकार का संख्या बल 128 तक पहुंच जाएगा जबकि विपक्षी खेमा 105 के आंकड़े तक ही पहुंचता दिख रहा है। राजग को बीजद, वाइएसआर कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति का समर्थन मिलना तय माना जा रहा है जबकि कांग्रेस की अगुआई वाले विपक्षी संग्रग को नागरिकता बिल पर तृणमूल, वामदल, सपा और बसपा के अलावा आम आदमी पार्टी का समर्थन मिलने के पुख्ता संकेत हैं। हालांकि कांग्रेस की नई सियासी दोस्त बनी शिवसेना ने अपने वैचारिक एजेंडे से पीछे नहीं हटने के इरादे जाहिर करते हुए साफ कर दिया है कि पार्टी नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन करेगी। शिवसेना ने अपने इस रुख को लेकर कांग्रेस और राकांपा को रूबरू कराते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इसका महाराष्ट्र की सियासत और सरकार से कोई लेना-देना नहीं है।

क्या है नागरिकता संशोधन विधेयक : सोमवार को संसद में पेश होने जा रहा नागरिकता संशोधन विधेयक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ करेगा। विधेयक में इन देशों से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, जैन और इसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है।

सरकारी आवास खाली करने के लिए तीन पूर्व सांसदों को नोटिस

नई दिल्ली, एएनआइ : लोकसभा की आवासीय समिति ने विभिन्न दलों के तीन पूर्व सांसदों को नोटिस जारी कर सरकारी आवास तुरंत खाली करने को कहा है।

उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, जिन तीन पूर्व सांसदों को सरकारी आवास तुरंत खाली करने का नोटिस भेजा गया है उनके नाम क्रमशः तेदेपा के मुरली मोहन मगंती, भाजपा के मनोहर उटवाल और अन्नाद्रमुक के गोपाल हैं। तीनों ही पूर्व सांसदों ने अपने आवासों पर ताला लगा रखा है। आवासीय समिति ने उनसे कहा है कि अगर उन्होंने सरकार आवास खाली नहीं किए तो दिशा निर्देशों के मुताबिक पंचनामा के बाद आवासों को जब्त कर लिया जाएगा।

ज्ञात हो, मुरली मोहन मगंती दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी, मनोहर उटवाल मध्य प्रदेश के देवास और गोपाल के. तमिलनाडु में नागपट्टिनम सीट से सांसद थे। बता दें कि आवासीय समिति में अधिकतम 12 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति लोकसभा स्पीकर करते हैं।

कह के रहेंगे माधव जोशी